

नं०:- ५७ / 2023

तारीखरजू:- 19.4.23

उनवान:- जितेन्द्र बनाम तहसीलदार वगै०

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरुस्ती

नांक

फर्द अहकाम पत्रावली गुप्रा

वादी की ओर से श्री ~~रंजित कुमार~~ एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 136 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 04.07.2023 को पेश हो।

1669
19/6/23

(गौरव कुमार मित्तल)

उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टे सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

7
23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित।
प्रतिवादी न०। के नोटिस तामील कार्मिक द्वारा
होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पैरोकार सरकार
उपस्थित। वास्ते जबाब रिपोर्ट पेश करने
दिनांक 7.8.23 को पेश हो।

78
23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... स्थानाल...
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 14.9.23
को पेश हो।

141
23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... स्थानाल...
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 26.10.23
को पेश हो।

26
23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... स्थानाल...
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 2-1-24
को पेश हो।

21
24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित।
वास्ते जबाब रिपोर्ट पैरोकार सरकार का पेश
करने दिनांक 31.1.24 को पेश हो।




फर्द अहकाम

रिपोर्ट है इसी शुरुआत वाली नै वादपत्र
में शुरुआत चाहिए है

उक्त विवेचन शुरुआत वाली के वाद
पत्र में कोई कार्यवाही किया जाना उचित
प्रतीत नहीं होता है। और वाली का वाद
शुद्धीय किया जाता है।

पतावली फैसल शुआत नम्बर से कम
होकर दायित्व दफ्तर है।



(नामाल मोना)

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापूर सिटी

न है कि
- मुई डे
का अर्सा
शु.अ.नि-
उपस्थित है।


भू.अ.नि. ()
सा गंगापूर सिटी